वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में, ऐसे 14 और केन्द्र स्वीकृत किये गये है । इनमे दिल्ली, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है । इसके अतिरिक्त नशीली दवाओ के व्यसनियो के उपचार हेतु दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान मे तीन निर्व्यसन केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके है ।

**मादक द्रव्यों के व्यसनियों के संबंध में सर्वेक्षण**

2824. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सभी राज्यो में और खासतौर से दिल्ली मे मादक द्रव्यों और खास तौर से स्मैक के व्यसनियों की सख्या बड़े पैमाने पर बढ रही है ,

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई उपचारी कदम उठाए गए है ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध मे कोई सर्वेक्षण करने का विचार रखती है ताकि मादक द्रव्यो के व्यसनियो की और खासतौर से स्मैक के व्यसनियो की सख्या का पता लगाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्य रूप दिये जाने का प्रस्ताव है और उसका ब्योरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो)** : (क) कोई व्यापक मूल्यांकन उपलब्ध नही है । फिर भी विश्वास किया जाता है कि कुछ भागो मे नशीली दवाओ का दुरुपयोग बढ़ रहा है ।

(ख) सरकार ने नशीली दवाओ की समस्या पर काबू पाने के लए अनेक उपाय किए है । कल्याण मंत्रालय द्वारा चेतना निर्माण, निवारक शिक्षा, परामर्श एव मार्गदर्शन, मदर्भ सेवाए, निर्व्यसन, अनुवर्ती कार्यवाही और व्यसनियो के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम शुरु करने के लिए स्वयसेवी संगठनो को वित्तीय सहायता दी जा रही है । नशीली दवाओ के विरुद्ध सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है । सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे है ।

(ग) और (घ) चार महानगरो तथा पाच अन्य नगरों में 'छात्रो मे नशीली दवाओ पर एक बहु-केन्द्रित अध्ययन" शुरू किया गया था । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अपने राज्यों में स्थिति का मूल्यांकन करने तथा समस्या पर जहा कही विद्यमान है, काबू पाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

**Workcharged Staff of C P.W.D.**

2825. SHRI CHATURANAN MISHRA. Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2314 given in the Rajya Sabha on the 14th August, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that temporary posts for workcharged staff of CPWD were sanctioned after 1st April, 1977; and

(b) if so, what are the dates of such sanction and the sanctioned posts according to each category in different regions and circles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is enclosed. [*See* Appendix CXLIV Annexure No. 125]

**Arbitration regarding re-classification/re-categorisation of CPWD Workers**

2826. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of